ना इस
तामील
हुए

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2019(2019/00025)**

1.देबी पुत्र हरजी कुमावत उम्र 75 वर्ष
2.जगदीश पुत्र हरजी कुमावत उम्र 65 वर्ष
निवासीगण पीपलाज तहसीलदार सावर जिला अजमेर राजस्थान —प्रार्थीगण

**बनाम**

तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर (राजस्थान) —अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थितः—** 1. श्री हेमन्त जैन वकील— प्रार्थीगण
2. तहसीलदार सावर —पैरोकार सरकार

**आदेश**

**दिनांक 10.09.2021**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपलाज की जमाबंदी संवत् 2075 तहसील सावर जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

| खेवट खतौनी | | खसरा नंबर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| नई | पुरानी | 2085 | 0.27 | जा.1,चा.1 |
| | | 2088 | 015 | जा.1.चा.2 |
| | | 2090 | 0.05 | जा.1.चा.2 |
| | | 2091 | 0.06 | जा.1.चा.2 |
| | | 2092 | 0.32 | चाही 2 |
| | | 2101 | 0.17 | जा.1,चाही 1 |
| | | 2100 | 0.44 | बा.1 |
| | | 2109 | 1.00 | बा.2 |
| | | 2110 | 1.65 | बा.2 |
| | | 2111 | 0.86 | चा.2 |
| | | 2116 | 0.57 | चाही 2,जा.2 |
| | | 2117 | 0.02 | गै.मु.चाह |
| | | 12 | 5.56 | |

उक्त आराजी प्रार्थीगणो के संयुक्त खातेदारी अधिकार मे दर्ज होकर कब्जे काश्त मे होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी खसरा नंबर 2116,2117,2110,2109है। आराजी खसरा नंबर 2116 के बदिशा दक्षिण की और आराजी नंबर 2115 स्थित है। आराजी [illegible] दक्षिण की और रास्ता आराजी नंबर 1433 रकबा 1.25 है0 गै.मु.रास्ता संवत् 2075 जमाबंदी मे दर्ज है। उक्त रास्ते मे डामर की सड़क बनी हुई है,[illegible] जाती है। आराजी नंबर 2116 व 2115 के बदिशा पूर्व की और आराजी नंबर 2118 रकबा 1.43 है0 [illegible] है। आराजी नंबर 2118 मे आराजी नंबर 2119 व 2120 गै.मु.खड्डा दर्ज है। उक्त [illegible] आराजीयात बिलानाम होकर विपक्षी की देखरेख मे चली आ रही है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की आराजी नंबर 2116 व आराजी नंबर 2117 आ.चा.मे जाने हेतु आराजी नंबर 2118 मे रास्ते की मॉग कर रहे है,पर प्रार्थीगणों की आराजीयात मे जाने हेतु राजस्व रेकार्ड मे रास्ता आराजी नंबर 2118 मे आराजी नंबर 2116 से पूर्वी दक्षिणी कोने तक दर्ज करवाना चाहते है पर रास्ता सभी काश्तकारों की सुविधा के लिए रास्ता आराजी नंबर 1433 से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 04 / 2019(2019 / 00025)
देवी वगैराह कुमावत बनाम तहसीलदार सावर
251 क राज0काश्त0अधि0
आदेश दिनांक 10.09.2021

आराजी नंबर 2108 तक दर्ज करवाया जावे। जिससे सभी काश्तकारो की सुविधा के लिए रास्ता दिलवाया जावे। सभी काश्तकार अपनी आराजीयात पर सुविधा पूर्वक कृषि उपकरण ले जाकर आराजीयात का उपयोग उपभोग कर सकेगे। प्रार्थीगण काश्तकार होने से उनका जीवन कृषि आधारित है। यदि अपनी आराजीयात को काश्त नही कर सके तो प्रार्थीगण भूखे मर जायेगे। प्रार्थीगण आराजी नंबर 2118 मे होकर रास्ता आराजी नंबर 1433 से आराजी नंबर 2116 के पूर्वी दक्षिणी कोने तक रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। उस भूमि का मूल्यांकन कर प्रार्थीगण उक्त आराजी की भूमि का डी0एल0सी0 दर से राशि अदा करने को तैयार है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार सावर से तलब की गई। प्रार्थी वर्तमान मे आवेदित खसरा नंबर 2118 मे से होकर आवागमन कर रहा है। खसरा नंबर 2118 मे से 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना है,जमीन के बदले जमीन दिया जाना संभव नहीं है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते पर कोई पेड़ नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 2118 मे से 50X4 200 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। डी0एल0सी0 1,88,180रू प्रति हैक्टर के हिसाब से 3763.60 रूपये बनती है। जिसकी दुगनी राशि 7527.20 रूपये बनती है।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया। वर्तमान मे आराजी नंबर 2118 मे स्थित रास्ते की चौडाई करीब 15 फिट है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकार की आराजीयात मे बिना किसी बाधा के आ जा रहे है। व कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। आराजी नंबर 2108 रास्ता हेतु दर्ज है पर उक्त रास्ते की तरफ रेतीले टीले है जिनसे कृषि उपकरण लाना संभव नहीं है। इस रास्ते पर पहुचने के लिए रेतीले टीले होने से पहुँचना सम्भव नहीं है। अतः खसरा नंबर 2118 मे से रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना फरमावे।

मैने वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर ग्राम पीपलाज के खसरा नंबर 2116,2117 मे आने जाने हेतु हेतु वाकै ग्राम पिपलाज की जमाबंदी संवत् 2075 के खाता संख्या 1–1 खसरा संख्या 2118 रकबा 1.43 हैक्टर मे से 50X4 200 वर्गमीटर गै0 मु0 रास्ता गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी को दिया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner